भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
राजस्व विभाग

राज्यसभा
अतारांकित प्रश्न सं. 1838
जिसका उत्तर मंगलवार दिनांक 05 अगस्त, 2025/14 श्रावण, 1947 (शक) को दिया जाना है

कर प्रोत्साहन और राजस्व नुकसान

1838 श्री दिग्विजय सिंहः
श्री नीरज डांगी:
श्री मुकुल बालकृष्ण वासनिकः
श्रीमती रंजीत रंजनः

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः
(क) वित्तीय वर्ष 2019 से अब तक विभिन्न शीर्षों के अंतर्गत कॉर्पोरेट्स और अन्य करदाताओं को प्रदान की गई कर छूटों, कटौतियों और प्रोत्साहनों के कारण होने वाले कुल राजस्व नुकसान का श्रेणी-वार ब्यौरा क्या है;
(ख) इस अवधि के दौरान क्षेत्र-वार और उद्योग-वार इस राजस्व हानि का ब्यौरा क्या है; और
(ग) क्या सरकार ने रोजगार सृजन, पूंजी निवेश, वेतन वृद्धि या क्षेत्रीय विकास के संदर्भ में इन प्रोत्साहनों की प्रभावशीलता या प्रभाव की समीक्षा की है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर
वित्त राज्य मंत्री
(श्री पंकज चौधरी)

(क) एवं (ख): प्रत्यक्ष कर के संबंध में कर छूटों, कटौतियों और प्रोत्साहनों के कारण कुल राजस्व हानि:

वित्तीय वर्ष 2019-20 से 2023-24 तक राजस्व नुकसान (प्रत्यक्ष कर) (रुपये करोड़ में)				
वित्तीय वर्ष	**कॉर्पोरेट करदाताओं के लिए प्रमुख कर प्रोत्साहन (क)**	**गैर-कॉर्पोरेट करदाताओं (फर्म/एओपी/बीओआई) के लिए प्रमुख कर प्रोत्साहन (ख)**	**व्यक्तिगत एचयूएफ करदाताओं के लिए प्रमुख कर प्रोत्साहन (ग)**	**कुल योग (क+ख+ग)**
2019-20	94109.83	8,043.07	1,55,429.45	2,57,582.35
2020-21	75,218.02	7,731.61	1,28,244.23	2,11,193.86
2021-22	96,892.39	9,018.68	1,68,566.30	2,74,477.37
2022-23	88,109.27	10,920.83	1,96,678.95	2,95,709.05
2023-24 (अनुमानित)	98,999.57	12,270.64	2,20,988.47	3,32,258.68

अप्रत्यक्ष कर के संबंध में कर छूटों, कटौतियों और प्रोत्साहनों के कारण कुल राजस्व हानि:

कर प्रोत्साहनों का राजस्व प्रभाव (अप्रत्यक्ष कर) (रुपये करोड़ में)		
वर्ष	**सीमा शुल्क**	**कुल**
2019-20	79,114	79,114
2020-21	62,773	62,773
2021-22	37,680	37,680
2022-23	33,986	33,986
2023-24	37,252	37,252

(ग): विभिन्न करदाताओं को उपलब्ध छूटों और प्रोत्साहनों को चरणबद्ध तरीके से समाप्त करना और कर ढांचे को सरल बनाना सरकार की घोषित नीति है। वित्त अधिनियम, 2016 से कॉर्पोरेट कर की दरें धीरे-धीरे कम की गई हैं। कराधान कानून (संशोधन) अधिनियम, 2019 के तहत, यदि कॉर्पोरेट्स निर्दिष्ट कटौती या प्रोत्साहन का लाभ नहीं उठाते हैं तो उन्हें 22% की रियायती दर पर कर का भुगतान करने का विकल्प प्रदान किया गया है।

रोजगार सृजन, पूंजी निवेश, वेतन वृद्धि, नवाचार या क्षेत्रीय विकास के संदर्भ में कराधान दरें, छूट और कर प्रोत्साहन सरकार की समग्र राजकोषीय नीति का हिस्सा हैं जिसका उद्देश्य अर्थव्यवस्था का संपूर्ण विकास करना है।

*****